हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उनवान ~~सरकार~~ मोहनलाल बनाम किशनलाल वगैरह

88,188 RTA

मुकदमा नं० 44/22 निर्णय दि० 5-4-22

तनकी सं. 2 → आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है — वादीगण

राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार ही स्थायी निषेधाज्ञा वाद लाने हेतु अधिकारिता रखता है। प्रश्नगत 8.11 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने के कारण यह तनकी विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3 → आया प्रति. वका 15 इकरारनामा दि. 26.7.94 के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा के अधिकारी हैं — प्रतिवादीगण

अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा की अधिकारिता राजस्व न्या. को प्राप्त नहीं। प्रतिवादीगण सक्षम सिविल न्या. में इस बाबत वाद दायर करने बाबत स्वतंत्र हैं।

अत: यह तनकी "राजस्व न्या. की अधिकारिता की" नहीं होने के कारण विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 4 को अलग से विवेचन की यहां कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है।

आदेश

ग्राम डूंगर सिकराय ख.नं. 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488 रकबा 8.11 बीघा बाबत वादीगण का घोषणा वाद, राजस्व न्या. की अधिकारिता नहीं होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि दान पत्र दि. 16.6.69 के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रही खातेदारी को बहाल करे।

मुताबिक आदेश डिक्री व तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो।

(हस्ताक्षर)
(रणजीत सिंह)
5-4-22